

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एस-55/2008)(लिंक नं. 9210)/अलेसे-11/ 624 दिनांक :- 25.9.19

कार्यालय आदेश

श्री सुखदेव वर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को वित्त (वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.8(13) वित्त/ विआएवआमाडी/ पार्ट-4/ 2019 दिनांक 04.09.2019 द्वारा निदेशालय कोष एवं लेखा के लिए कार्यमुक्त किया गया जिसकी पालना में श्री वर्मा ने दिनांक 04.09.2019 को निदेशालय में उपस्थिति दी। विभागीय आदेश दिनांक 06.09.2019 द्वारा श्री वर्मा का पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा से निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर में किया गया जहां श्री वर्मा ने दिनांक 09.09.2019 को कार्यग्रहण कर लिया। श्री वर्मा के दिनांक 04.09.2019 से 06.09.2019 (03 दिवस) तक इस निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में रहने एवं दिनांक 07.09.2019 व 08.09.2019 को राजकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 09.09.2019 को कार्यग्रहण किया। श्री वर्मा के उक्त अवधि को आदेशों की प्रतीक्षा में रहने के कारण उक्त अवधि को राजस्थान सेवा नियम 7(8)ब(iii) के अन्तर्गत कर्तव्य पर मानते हुए नियमित किया जाकर श्री वर्मा का उक्त अवधि का वेतन कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के यहां रिक्त पद के विरुद्ध आहरण करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एस-55/2008)(लिंक नं. 9210)/अलेसे-11/ 624 दिनांक :- 25.9.19

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
2. श्री सुखदेव वर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)